पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने ऐतिहासिक स्टीम इंजन 808 को किया पुनर्जीवित

112 साल पुराने डीएचआर स्टीम लोको 808 का मालीगांव में हुआ उद्घाटन

मालीगांव (एजेंसी)। भारत की समृद्ध रेल विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर) की (4-6-2) पैसिफिक के ऐतिहासिक स्टीम इंजन संख्या 808-सी क्लास एनजी लोको का सफलतापूर्वक नवीनीकरण किया। इसे मालीगाँव स्थित मुख्यालय परिसर में एक अपग्रेडेड विरासत प्रदर्शनी के रूप में स्थापित किया गया है।

इस नवीनीकृत विरासत इंजन का उद्घाटन 26 मई, 2026 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में किया। यह ऐतिहासिक इंजन वर्ष 1914 में बना था और इसका निर्माण नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ग्लासगो (यू.के.) द्वारा किया गया था। यह स्टीम इंजन भारत की रेल विरासत का एक दुर्लभ प्रतीक है। यह इंजन पहले से ही मालीगांव स्थित पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्यालय परिसर में प्रदर्शित था और अब पूर्ण मरम्मत, पेंटिंग और नवीनीकरण कार्यों के माध्यम से इसे एक नया रूप दिया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक की प्रेरणा और मार्गदर्शन में, यह जीर्णोद्धार कार्य न्यू बंगाईगाँव स्थित कैरेज एंड वैगन कारखाना द्वारा किया गया। नवीनीकृत इंजन को सजावटी रोशनी के साथ-

साथ वास्तविक ध्वनि और धुएं के प्रभावों से सुसज्जित किया गया है, जो इसे रेल यात्रियों और उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षक विरासत प्रदर्शनी बनाता है। यह स्टीम इंजन संख्या 808, प्रसिद्ध 4-6-2 पैसिफिक क्लास स्टीम लोकोमोटिव श्रेणी से संबंधित है, जिसे 1914 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अधीन सेवा के लिए लाया गया था। अपने जुड़वां इंजन संख्या 807 के साथ, इस इंजन ने डीएचआर के किशनगंज विस्तार सेक्शन पर 800 टन तक की मालगाड़ियों को खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

1948 में सिलीगुड़ी-किशनगंज लाइन को मीटर गेज में बदलने के बाद, यह इंजन 1960 के दशक में सेवामुक्त होने से पहले, सिलीगुड़ी में एक शंटिंग पायलट के रूप में अपनी सेवा जारी रखा। यह संरक्षित स्टीम इंजन अब वाष्प युग और भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की याद दिलाता है। स्टीम इंजन संख्या 808 का जीर्णोद्धार, ऐतिहासिक रेल संपत्तियों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही भारत में स्टीम इंजन की विरासत के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है।

पत्रकारों ने जल भंडारण व वितरण व्यवस्था को जाना

ब्यावर (प्रासं)। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान-2026के तीसरे दिन बुधवार को सूचना एवं जन संपर्क विभाग के तत्वावधान में स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए फिल्ड भ्रमण का आयोजन किया गया।पत्रकारों ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अजमेर रोड स्थित ब्यावर- जवाजा पंप हाउस व बीसलपुर परियोजना जलकल गृह दौलतपुरा का भ्रमण कर जल भंडारण व जल आपूर्ति की कार्य प्रणाली को समझा।विभाग के अधिशासी अभियंता सुनील जूनवाल ने पत्रकारों को जल आवक व वितरण प्रबंधन व तकनीकि प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।इसके बाद पत्रकारों ने जवाजा प्रखंड के राजियावास तालाब का भ्रमण कर जल संरक्षण व जल संचय की गतिविधि को देखा।सरपंच ब्रजपाल सिंह रावत ने तालाब के महत्व व पृष्ठभूमि की जानकारी दी।सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता पृथ्वीराज ने वर्षा जल संचयन व जल संरक्षण का महत्व बताया।

बालश्रम और बाल तस्करी के खिलाफ राजस्थान पुलिस का बड़ा अभियान

1 जून से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान 'उमंग-VII"

जयपुर (कासं)। राजस्थान में बालश्रम, बाल बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार (बाल तस्करी) के खिलाफ राज्यव्यापी एक माह का विशेष अभियान 'उमंग-VII" चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार यह अभियान 1 जून से 30 जून 2026 तक प्रदेशभर में संचालित होगा। अभियान का उद्देश्य बालश्रम एवं बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राइट्स एवं एएचटी) हवासिंह घुमरिया ने प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्तों, रेंज आईजी, पुलिस उपायुक्तों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों सहित जीआरपी अजमेर एवं जोधपुर को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में अभियान को पूरी संवेदनशीलता एवं समन्वय के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अभियान के प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अभियान से जुड़े सभी विभागों एवं हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करें। इसके तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति, शेल्टर होम, चिल्ड्रन होम तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर संयुक्त रणनीति तैयार की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में थानेवार विशेष रेस्क्यू टीमों का गठन किया जाए। प्रत्येक टीम में एक एसआई अथवा एएसआई सहित चार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इन टीमों को अभियान शुरू होने से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बालश्रम एवं मानव तस्करी के मामलों की पहचान और कार्रवाई प्रभावी ढंग से हो सके। इन टीमों में महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति तथा एनजीओ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे रेस्क्यू और पुनर्वास कार्य अधिक संवेदनशील एवं समन्वित रूप से किया जा सके। विशेष अभियान के दौरान होटल, ढाबे, ईंट भट्टे, फैक्ट्रियां, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, हाईवे किनारे स्थित ढाबों तथा अस्थायी बस्तियों में रह रहे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उनका पूरा विवरण, फोटोग्राफ एवं आवश्यकता अनुसार वीडियोग्राफी भी की जाए। यदि कोई बच्चा गुमशुदा अथवा मानव तस्करी का शिकार पाया जाता है तो उसके संबंध में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समय पर पहचान और आधुनिक उपचार से ब्लड कैंसर को हराना संभव

जयपुर (कासं)। बार-बार बुखार का आना, शरीर में कमजोरी आना, शरीर में खून की कमी होना, हाथ-पांव में कमजोरी महसूस होना। यह सभी लक्षण सामान्य नजर आते है, लेकिन अगर उपचार के बाद भी यह लक्षण ठीक ना हो तो यह शरीर के रक्त में कैंसर सेल की शुरूआत का संकेत भी हो सकते है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के ब्लड कैंसर एवं बीएमटी विशेषज्ञ डॉ प्रकाश सिंह शेखावत ने बताया कि ब्लड कैंसर की समय पर पहचान और आधुनिक उपचार से ब्लड कैंसर को पूर्णतः हराकर एक सामान्य जीवन जिया या जा सकता है। बाल रक्त एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ शिवानी माथुर ने बताया कि बच्चों में कई तरह के ब्लड कैंसर होते हैं, जिसकी शुरूआती स्तर में उपचार की शुरूआत करके उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। उपचार पूर्ण होकर स्वस्थ जीवन जी रहे हजारों बच्चे सामान्य जांच के लिए चिकित्साल्य में आते हैं जो अन्य बच्चों की तरह ही स्पोटर्स और फिजिकल एक्टिविटी में भी पूर्ण रूप से एक्टिव होते है।

कार-टी सेल थेरेपी एवं बीएमटी से मिल रहे श्रेष्ठ परिणाम

डॉ शेखावत ने बताया कि आधुनिक चिकित्सा में कार-टी सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) जैसी अत्याधुनिक तकनीकें ब्लड कैंसर और गंभीर रक्त रोगों के उपचार में नई उम्मीद बनकर उभरी हैं। कार-टी सेल थेरेपी में मरीज की प्रतिरक्षा कोशिकाओं (टी-सेल) को विशेष तकनीक से कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। वहीं बीएमटी के माध्यम से रोगग्रस्त बोन मैरो को स्वस्थ स्टेम सेल्स से प्रतिस्थापित किया जाता है। यह उपचार ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोगों में उपयोगी है।

राज्यपाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी और जल्द स्वस्थ होने की कामना की

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने उज्जैन से खाटूश्यामजी जा रहे वाहन के सीकर बायपास हाड़ोता के पास बावरिया कट पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसमें सवार गांव हरगुण्ड, जिला परबनी, महाराष्ट्र के मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल को बुधवार शाम जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली वह लोकभवन से चौमूं स्थित आर.के. हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर के लिए रवाना हुए और वहां भर्ती घायलों की उन्होंने कुशलक्षेम पूछी।

टाइगर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

TYGER CAPITAL

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 609 और 610, 6वीं मंजिल, मैजेस्टिक, लॉ गार्डन के पास, पंचवटी रोड, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात - 380 006.
कॉर्पोरेट कार्यालयः 1004/5, 10वीं मंजिल, सी-विंग, वन बीकेसी, सी-66, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051. महाराष्ट्र, भारत
CIN: U65990GJ2016PTC093692, Website : www.tygercapital.in

कब्जा नोटिस (अचल संपत्तियों के लिए)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता **टाइगर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** (जिसे पहले मेसर्स अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, दिनांक 6 जून 2024 के निगमन प्रमाणपत्र के अनुसार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसे इसके बाद 'टीसीपीएल' के रूप में संदर्भित किया गया है) का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8 (1) के अनुपालन में, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तारीख को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें संबंधित उधारकर्ता/ओं को नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया।

उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तारीखों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/ओं और आम जनता को इस प्रकार से सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति/संपत्तियों से कोई लेन-देन न करें और संपत्ति/संपत्तियों से कोई भी लेन-देन **टाइगर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** (अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड) के अधीन होगा, ऋण समझौते के अनुसार राशि और उस पर ब्याज के लिए। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) और (9) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या/ पुराना ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस तारीख और राशि	प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा
1	106MSM001030022	अगरेज सिंह/ मनदीप सिंह	18 नवम्बर, 2025 / रु. 2357123/- दिनांक 18 नवम्बर, 2025 तक	23-05-2026 भौतिक कब्जा

गिरवी रखी गई संपत्तिः- संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल किला नंबर 1 से 33 फीट की दूरी पर स्थित औद्योगिक परिवर्तित संपत्ति, पूर्व दिशा में तरुण बंसल के निकट पुत्र करतारामा का भूखंड। कुल क्षेत्रफल: 41.25 × 165 = 6806.25 वर्ग फीट, स्थित है पत्थर नंबर 65/27, चक 2, जीडी-ए, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान। सीमाएँ : पूर्व - बुध राम, पश्चिम - करतार राम, उत्तर - सड़क, दक्षिण - कृषि भूमि (अशरफ खान)।

स्थान : राजस्थान
दिनांक : 28.05.2026

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी
टाइगर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के लिए

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

जयपुर (कासं)। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज व्यावहारिक और रोजगारपरक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ, यह कॉलेज कक्षा 10 के बाद लड़कियों को सीधे पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश का मजबूत मंच प्रदान करता है। प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, इसलिए यह 10वीं पास छात्राओं और पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं के लिए अपने भविष्य को कौशल के साथ फिर से शुरू करने का एक बेहतरीन अवसर है। प्राचार्या श्रीमती शालिनी गुप्ता ने बताया कि, प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चूकी हैं। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथी 9 जून 2026 हैं। कक्षा 10 पास हर छात्रा को आवेदन करने और कौशल के माध्यम तथा रोजगारोपरक शिक्षा मे अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिससे कि महिलाऐ अपने परिवार में आत्मनिर्भर बन सके। डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के पश्चात् इनको 12 वीं के समकक्ष मान्यता है एवं चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में भी प्रवेश के योग्य माना जाता हैं।

केंद्र सरकार की 'सार्थक-पीडीएस' योजना को मिली मंजूरी

राशन वितरण प्रणाली को एआई और ब्लॉकचेन से किया जाएगा आधुनिक

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 16वें वित्त आयोग की आबंटन अवधि में 'राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता - सार्वजनिक वितरण में स्वचालन के साथ आय' (सार्थक पीडीएस) योजना को एक व्यापक योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जा रहा है। सीसीईए ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खाद्यान्नों की अंतरराज्यीय आवाजाही और हैंडलिंग तथा एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता के मानदंडों को संशोधित करने और केंद्रीय सहायता के मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न को जारी रखने का भी निर्णय लिया है।

'एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता' और (ii) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार की योजना (स्मार्ट पीडीएस)' को एकीकृत करती है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन को व्यापक रूप से मजबूत किया जा सके। सार्थक-पीडीएस योजना का उद्देश्य (ए) अंतरराज्यीय आवागमन, हैंडलिंग और एफपीएस डीलर के मार्जिन के लिए सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करना, और (बी) एक एकीकृत, नागरिक-केंद्रित, बुद्धिमान और अंतरसंचालनीय पीडीएस संरचना प्रदान करना है, जो अंतिम दूरी तक वितरण सुनिश्चित करती है, लीकेज को कम करती है।

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	पूजा गुप्ता/अजय गुप्ता/ LBDEL00004876245	फ्लैट नंबर 703, सातवीं मंज़िल, टॅक्वर-एच, ऑक्सीरिच संस्कृति फेज़-2, सेक्टर-33 में स्थित, तहसील-तिजारा, भिवाड़ी, ज़िला- अलवर, राजस्थान- 301019/ मई 22, 2026	मार्च 29, 2025 रु. 18,27,374/-	दिल्ली और एनसीआर/ अलवर (राजस्थान)
2.	सूरज कुमार यादव/ पूनम यादव/ LBBWD00006792049	ई.डब्लू.एस. फ्लैट नंबर बी3/08, प्रथम तल, ब्लॉक बी3, राजीव गाँधी एन्क्लेव योजना, सेक्टर-3, यू.आई.टी. कॉलोनी भिवाड़ी, तहसील टपूकड़ा, ज़िला अलवर, राजस्थान- 301019/ मई 22, 2026	मई 09, 2025 रु. 6,36,988/-	अलवर (राजस्थान)
3.	अमरजीत सिंह/ रजनी कौर/ LBAWR00001916563	प्लॉट नंबर 3, ब्लॉक-ई, सेक्टर-48, जीएफ, विपुल वर्ल्ड, सोहना रोड, गुड़गाँव, हरियाणा, गुड़गाँव- 122001/ मई 22, 2026	जुलाई 16, 2025 रु. 20,70,661.64/-	दिल्ली और एनसीआर/ अलवर (राजस्थान)

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : मई 28, 2026
स्थान : अलवर (राजस्थान)

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

बारी प्रीमियर लीग का खिताब बीकानेर टीम के नाम

समाजजनों ने आयोजन समिति और खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

जयपुर (कासं)। बारी प्रीमियर लीग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में बीकानेर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बीकानेर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 75 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेनवाल टीम 62 रन ही बना सकी और बीकानेर ने यह मुकाबला 13 रन से जीतकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि हवामहल क्षेत्र के विधायक Balmukund Acharya रहे। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष Rajendra Bari ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार वितरित किए। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने पर पिंकसिटी रॉयल्स के Surendra Bari को 'मैन ऑफ द सीरीज' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर समाज के लोगों ने आयोजन समिति की सराहना की तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

भाविप द्वारा शीतल जल मंदिर का उद्घाटन

नाथद्वारा (प्रातःकाल संवाददाता)। भीषण गर्मी एवं नौतपा के दिनों में आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद श्रीनाथजी शाखा द्वारा पोस्ट ऑफिस नाथद्वारा परिसर में स्थायी शीतल जल मंदिर का उद्घाटन किया गया।इस अवसर पर परिषद पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा नाथद्वारा शहर में यह सातवां स्थायी शीतल जल मंदिर स्थापित किया गया है।

इस जल मंदिर में 80 लीटर क्षमता का कूलर एवं ऋह फिल्टर लगाया गया है, जिससे आमजन को 24 घंटे निरंतर स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम में भामाशाह परिवार से ललित मेहता, लउनकी धर्मपत्नी पूजा मेहता,प्रकाश मेहता एवं परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

MANAPPURAM FINANCE LTD.

निलामी सूचना

CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.06.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :
अलवर, डीग, 0137490700002935, 2936, 2997, 3010, 3145, 0137490730015997, 6085, 6257, 6258, 6304, 6334, 7992, 8247, 8248, हनुमान सर्कल अलवर, 0138330700003916, 4468, खैरथल, 0138500700001766, 0138500730011029, मनुमार्ग अलवर, 0112140700029336, 9354, 9359, 9883, 0002, 0003, 0112140730067866, 9628, 9785, 0701, 1901, रोड़ नंबर 2 अलवर, 0112110700032534, 2971, 3119, 3601, 3715, 3768, 0112110730068214, 3590, 3831, 4347, 4408, 4473, 4516, 4904, 4905, 4906, 4960, 6975, 7099, 7104, 7168, 7207, 7485, दौसा, बांदीकुई, 0137480700003960, 4308, 4325, 4353, 4405, 0137480730031221, 2201, 3349, 4005, 4562, 5133, 5223, 6018, 6190, 6424, दौसा राजस्थान, 0135460700008624, 9282, 9611, 0064, 0135460730037142, 2720, 4050, 4069, 4109, 4411, 6013, 6250, 6276, 6360, लालसोट रोड दौसा, 0138010700002116, 2360, 0138010730011543, 3071, 3072, 3911, 4014, 4155, 4232, जयपुर, बागड़ू राजस्थान, 0135320700015471, 5718, 5728, 0135320730017815, 8338, 8339, भानकरोता जयपुर , 0123660700017561, 8561, 8798, 8883, 8954, 9096, 9120, 9158, 9185, 9264, 9271, 9332, 9677, 9690, 9828, 0123660730020821, ब्रह्मपुरी जयपुर, 0111150700033627, 4989, 5038, 5170, 5219, 5576, 5603, 5950, 5951, 5998, 6630, 6710, 6771, 6803, 0111150730030102, 2312, 2399, 3289, 3410, 3417, 3829, 4014, 4145, 4179, 5127, 5351, 5360, 5451, 5495, चोमू, 0135080700012432, 3409, 3451, 3490, 3593, 3836, 3873, 3971, 4009, 4526, 0135080730025068, 5712, 6844, 7317, 7873, 8726, 8727, डिसीएम अजमेर रोड, 0110310700020926, 1055, 1201, 1694, 0110310730020686, 2811, 4219, 4867, 6441, गोपालपुरा जयपुर, 0110500700021217, जगतपुरा जयपुर, 0111450700026526, 6578, 7098, 7612, 7646, 0111450730020282, 0443, 0511, 0709, 0717, 1622, 2999, 3028, 3177, 3324, 3326, जयपुर सिंधी कैंप, 0102820700023848, 3884, 3930, 3968, 0102820730018331, 0731, 1231, 1234, 1421, 1423, 1743, 1775, जोतवाडा, 0104600700728884, 9146, 9672, 0104600730025819, 6563, 6664, कुन्ता चौराहा जयपुर, 0123650700034355, 4484, 4633, 4642, 5129, 5215, 0123650730034856, 8848, 9301, मानसरोवर, 0110440700020609, 0676, 1586, 1975, 2045, 2058, 2072, 2309, 2444, 2538, 0110440730026547, 7658, 7692, 7929, 8012, 8089, 8244, 8320, 8384, 8711, 8877, 8878, 8982, 8984, 9273, 0658, 0704, 0187, 0143, मुरलीपुरा जयपुर, 0119460700035868, 6422, 6475, 0119460730083758, 1279, 2106, 4459, नगरपालिका लिंक रोड, 0113870700022492, 2553, 2607, 2610, 2660, 2745, 2783, 3060, 3312, 0113870730027932, 8286, 8780, 8863, 8938, 9450, 0823, 0873, 1021, 7767, 7796, प्रताप नगर जयपुर, 0114240700026997, 8635, 8822, 9173, 9234, 9258, 9545, 9639, 9641, 9645, 0138, 0114240730031769, 3284, 3325, 3737, 3825, 4299, 6100, राजापार्क जयपुर, 0120050700019732, 9984, 0151, 0631, 0120050730040001, 0009, रामनगर शॉपिंग सेंटर, 0127350700026162, 9045, 9775, 9859, 0199, 0399, 0127350730042119, 2121, 3689, 3721, 5200, 0065, सांगानेर, 0104670700044185, 4523, 6586, 6808, 6937, 6975, 6989, 7226, 7236, 7238, 7329, 7338, 7435, 7939, 8036, 8369, 8664, 0104670730028606, 8926, 9244, 0005, सांगानेर आर जे, 0136230700010568, 0700, 1107, 1122, 1172, 1211, 1299, 1811, 0136230730018381, 9053, 9435, 9480, 9481, 0046, 0091, 1325, शाहपुरा, 0116740700020936, 0999, 1005, 1064, 1133, 1140, 1142, 0116740730027026, 7368, 8275, 8409, 8461, 8562, 8635, 8636, 8880, 8893, 9113, 9326, 9329, 9340, 9388, 9408, 9522, 0369, 0472, 0639, 0757, 0759, शास्त्री नगर जयपुर, 0110520700024924, 5017, 5050, 5113, 5170, 5222, 5252, 5257, 5435, 5604, 5622, 5638, 5656, 5698, 5715, 5766, 6041, 6629, 6652, 0110520730024361, 4409, 4633, 5322, 5469, 5521, 5745, 5829, 5863, 6067, 6273, 6274, 6340, 6393, 8809, श्याम नगर, 0109820700016847, 6878, 8536, 8663, 0109820730040634, 2523, विजयपथ मानसरोवर , 0124180700016707, 6720, 6752, 0124180730034154, 4186, वि कें ए! ए जयपबर, 0110640700044357, 5503, 6083, 6348, 6417, 6476, 6608, 6706, 6904, 6933, 6937, 6978, 7106, 7670, 7818, 7861, 7862, 7877, 8103, 8536, 0110640730050563, 1235, 3740, 3744, 4880, 5103, 5130, 6788, 7202, 0899, वैशाली नगर जयपुर, 0111120700019486, 9686, 9717, 9873, 9999, 0017, 0111120730033272, 3981, 4006, 4209, झुंझुनू, झुंझुनू रोड नं. 1, 0116750700032114, 2152, 2207, 2208, 2388, 2555, 2946, 0116750730035408, 9441, 9976, 0100, 0141, 0209, 0430, 0533, 0727, 0729, 0730, 0732, 0936, 1047, 2627, 2640, 0244, पिलानी राजस्थान, 0135490700015466, 5481, 5501, 5531, 5549, 5607, 5687, 5702, 5789, 5931, 6041, 6042, 6146, 6180, 6226, 6253, 6261, 6883, 6905, 6907, 6934, 7024, 0135490730047363, 7394, 7636, 7793, 8463, 8607, 8731, 8764, 8767, 8947, 8970, 9015, 9018, 9042, 9128, 9129, 9348, 9361, 9658, 9659, 9782, 9793, 9926, 0325, 2027, टोंक, अग्रसेन सर्कल, 0113310700017288, 0113310730035003, 5580, देओली टोंक, 0113460700018666, 9073, 9187, 9701, 9735, 0113460730039343, 9399, 9874, 9903, 9919, 0356, 0363,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फ